न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना,आई.ए.एस.

अपील संख्या : 72/2017 एल.आर. एक्ट

ग्राम पंचायत केशरदेशर जाटान तहसील व जिला बीकानेर जरिये सरपंच ।

अपीलान्ट्

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ।

रेस्पोन्डेंट्

उपस्थितः 1– श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलान्ट ।
2– श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 18.7.2018

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम् 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 23.5.2017 जिसके द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट ग्राम पंचायत केसरदेसर जाटान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सं0 74/2015 अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट खारिज किया गया, के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत केसरदेसर जाटान, तहसील बीकानेर के सरपंच द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत दुरुस्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम केसरदेसर जाटान, तहसील बीकानेर में स्थित साबिका खसरा नं0 349/2 जिसका क्षेत्रफल 1025 बीघा 10 बिस्वा है । उक्त खसरा की भूमि ग्राम पंचायत केसरदेसर जाटान के नाम गैर मुमकिन आबादी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान उक्त भूमि के नये खसरा नं0 701 तादादी 0.12 हैक्टयर, 700 तादादी 1.77 है., 691 तादादी 0.14 है. , 689 तादादी 0.26 है., 709 तादादी 166. 69 है., 666 तदादी 0.02 है., 714 तादादी 86.82 है., 724 तदादी 0.30 है., 706 तादादी 0.54 है., 707 तादादी 0.56 है., 644 तादादी 0.88 है., 645 तादादी 0.54 है., 665 तादादी 0.36 है., 667 तादादी 0.18 है., कुल तादादी 259.38 हैक्टेयर बने हैं । उक्त विवादित भूमि संवत 2025 से 2040 तक की जमाबन्दी में ग्राम पंचायत के खाते में आबादी वासिन्दगान देह अंकित चली आ रही थी परन्तु गत सैटलमेंट 2042 में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त भूमि बंजड़ गै0मु0 आबादी की बजाय बंजड़ दर्ज कर दी गयी, जो एक लिपिकीय त्रुटि है । प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि राजस्व रिकॉर्ड में पहले से चली आ रही प्रविष्टि को बदलने का सैटलमेंट विभाग को अधिकार नहीं है । अतः धारा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

136 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि ग्राम पंचायत केसरदेसर जाटान के नाम भूमि का वर्गीकरण गैर मुमकिन बंजड़ आबादी की जावे ।

3. उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के पश्चात उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 23.5.2017 से धारा 136 का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर प्राप्त किया गया । प्रकरण में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि तहसील, बीकानेर के ग्राम केसरदेसर जाटान के पुराने खेत खसरा नं0 349/2 की तदादी 1025.5 बीघा जिसके वर्तमान सैटलमेंट में जो नये खसरा नम्बर बने हैं, वह 259.06 हैक्टेयर भूमि वर्तमान सैटलमेंट से पूर्व बनी जमाबन्दियां संवत् 2022 से लेकर 2053 तक (31 वर्ष की अवधि तक) उक्त भूमि आबादी भूमि के रुप में अंकित चली आ रही थीं । परन्तु भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त आबादी भूमि को बंजड़ भूमि के रुप में दर्ज कर दी गयी। प्रकरण में नामान्तरकरण सं0 150 दिनांक 1–4–70 सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 25.2.70 की पालना में दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है, जिसके द्वारा केसरदेसर जाटान के नाम आबादी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया गया था । उक्त इन्तकाल सं0 150 का आधार आदेश दिनांक 25.2.70 है, अतः जब तक आदेश दिनांक 25.2.70 सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता, तब तक इन्तकाल सं0 150 के आधार पर बना राजस्व रिकॉर्ड विधि विरुध्द नहीं होता है । प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट साबित होता है कि मौके पर गांव की आबादी बसी हुई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया गया । यह कि वर्तमान सैटलमेंट में हुए गलत इन्द्राज को दुरुस्त करने के लिए कानूनन दावा करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उपखण्ड अधिकारी, जिन्हें भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त है, अतः उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रकार की त्रुटि धारा 136 के प्रार्थाना पत्र के आध्यम से भी दुरुस्त करने हेतु सक्षम है । अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के सम्बन्ध में आरआरडी. जून–2002 पेज 336 एवम् आरआरटी 2009 (2) पेज 954 अवलोकनीय बताते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर धारा 136 के प्रार्थना पत्र के अनुसार दुरुस्ति करने आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया ।

6. राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में तहसील से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार सम्वत 2005 के मिसल बन्दोबस्त में उक्त विवादित भूमि मकबूजा ठिकाणा दर्ज है, जो संवत् 2012 से 2015 व 2016 से 2019 तक की जमाबन्दी में भी यही इन्द्राज है । जिसमें 1015.14 बीघा बंजड़ मुमकिन व 9.16 बीघा गैर मुमकिन रास्ता के रुप में अंकित है । तदुपरान्त सम्वत् 2022 से 2053 तक यह भूमि राजस्व अभिलेखों में आशामश

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आबादी के रुप में दर्ज होनी पाई जाती है, लेकिन कौन से आदेश व किस अधिकारी के आदेश से दर्ज हुई, का कोई उल्लेख नहीं है। ग्राम पंचायत इन्तकाल सं0 150 के आधार पर विवादित भूमि को आबादी भूमि होना मानती है, जो गलत है । विवादित भूमि के बाबत यह नहीं कहा जा सकता है कि दौराने सैटलमेंट राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन हुआ है, बल्कि भू–प्रबन्ध विभाग ने तो पहले से अर्थात 2005 से आ रहे राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राजों की पुनरावृति करके प्रविष्ट को सही किया है । यह लिपिकय त्रुटि का मामला नहीं है, अतः प्रकरण में ग्राम पंचायत को सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर कार्यवाही करनी चाहिये । राजकीय अभिभाषक ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट निरस्त करने हेतु निवेदन किया ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलंब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य रुप से कथन है कि ग्राम केसरदेसर जाटान के पुराना खसरा नं0 349/2 रकबा 1025.10 बिस्वा (259.38 हैक्टेयर) भूमि जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2053 तक आबादी के रुप में अंकित चली आ रही थी, जिसे दौराने सैटलमेंट उक्त आबादी भूमि को बंजड़ भूमि के रुप में दर्ज करने का अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को नहीं था । दौराने सैटलमेंट गलत इन्द्राज को दुरुस्त करने के लिए दावा करने की कानूनन आवश्यकता नहीं है । धारा 136 में दुरुस्ति करने का अधिकारी उपखण्ड न्यायालय को प्राप्त है । अभिभाषक अपीलान्ट ने इस आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया ।

8. न्यायालय के अनुसार ग्राम केसरदेसर जाटान की आबादी पुराने खसरा नं0 349/2 के अनुसार 1025.10 बीघा भूमि है । मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2053 तक उक्त भूमि आबादी 1015.10 बीघा आबादी वासिन्दगान देह व 9.16 बीघा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है । भू–प्रबन्ध सर्वे के दौरान खसरा नम्बर 349/2 के नया खसरा नं0 701, 700 691, 689, 709, 666, 714, 724, 706, 707, 644, 645, 665, 667 कुल तादादी 259.38 हैक्टेयर बनाये गये, जिसमें भूमि की किस्म बंजड़ दर्ज करदी गयी । मुताबिक पटवारी रिपोर्ट मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2005 की मिसल बन्दोबस्त में खसरा नं0 349/2 का रकबा 1025.10 बीघा मकबूजा ठिकाणा दर्ज है तथा सम्वत 2012–2015 व 2016–2019 की जमाबन्दी में भी मकबूजा ठिकाणा दर्ज रहा है । वर्ष 2022–2024 में उक्त भूमि बंजड़ आशायश आबादी तथा सम्वत 2025–2028 में तहसीलदार, बीकानेर के आदेश दिनांक 25.2.70 की पालना में इन्तकाल सं0 150 स्वीकृत कर आशायश आबादी के स्थान पर आबादी दर्ज किया गया है । तत्पश्चात सम्वत् 2029–2033, 2034–2037, 2038–2041, 2042–2045, 2046–2049 तथा सम्वत 2050–2053 में आबादी वासिन्दगान दर्ज है । परन्तु भू–प्रबन्ध कार्यवाही के पश्चात सम्वत 2050–2069 में नई मिसल बन्दोबस्त अनुसार नये खसरा नम्बर दर्ज होने पर चालू जमाबन्दी ग्राम केसरदेसर जाटान सम्वत 2072–2075 में पूर्व में दर्ज आबादी वासिन्दगान की भूमि को बंजड़ भूमि दर्ज की

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गयी है । जबकि तहसीलदार बीकानेर द्वारा नामान्तरकरण सं0 274 दिनांक 13.8.79 जिलाधीश महोदय, बीकानेर के आदेशानुसार स्वीकृत किया गया है, जिसमें पुराने खसरा नं0 349/2 की 1015.19 बीघा भूमि को आबादी भूमि में दर्ज किया गया है । प्रकरण में मिसल बन्दोबस्त अनुसार पुराने खसरा सं0 349/2 की उक्त 1025.19 बीघा भूमि के नया खसरा नम्बर बनाये जाकर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा आबादी में दर्ज भूमि को बजड़ दर्ज किया गया है ।

9. भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भूमि की किस्म बंजड़ दर्ज करने की भूल सुधार हेतु ग्राम पंचायत केसरदेसर जाटान द्वारा उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं पाये जाने के आधार पर खारिज किया गया है । जबकि नये खसरा नम्बर त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को सुधारने का प्रावधान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में किया गया है एवम् ऐसी त्रुटि को सुधारने की अधिकारिता भू–राजस्व अधिकारी (Land records officer) की बनती है तथा सैटलमेंट के दौरान त्रुटिपूर्ण इन्द्राजात को सुधारने हेतु वे सक्षम अधिकारी है । जबकि नियमानुसार भू–प्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के इन्द्राज परिवर्तन करने का अधिकारिता प्राप्त नहीं है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.5.17 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपखण्ड न्यायालय बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्व अभिलेख की पुनः जांच कर विधि अनुसार निर्णय पारित किया जावे ।

10. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.7.18 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर